कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रा.शि.)राजस्थान बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–प्रारं/नि.प्र./नियु.2/982/शि.भ.–18/लेवल–I/वो–II/2018 दिनांकः 18–02–2019

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त।

विषयः–राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2018 लेवल–1 अन्तर्गत गैर–अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र में चयनित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के संबंध में।

प्रसंग :–इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 13.02.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2018 लेवल–1 अन्तर्गत गैर–अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र में चयनित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्तियों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन डी.बी. स्पेशल अपील संख्या 1748/2018 राज्य सरकार व अन्य बनाम मनीष कुमार नागदा व अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13.02.2019 में उक्त शिक्षक भर्ती 2018 अन्तर्गत लेवल–1 की भर्ती प्रक्रिया के तहत आगामी पेशी दिनांक 18.02.2019 तक कोई नये नियुक्ति आदेश जारी नहीं करने के निर्देश प्रदान किये गये थे।

उक्त न्यायिक प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 18.02.2019 को अंतरिम आदेश पारित कर राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2018 लेवल–1 अन्तर्गत गैर–अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र में चयनित पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर दिनांक 13.02.2019 को नियुक्ति आदेश जारी करने पर दिये गये स्थगन आदेश को हटाते हुए प्रत्यर्थीगणों के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए नियुक्ति आदेश जारी करने की अनुमति प्रदान की है। अतः उक्त भर्त्ती अन्तर्गत लेवल–1 के चयनित पात्र अभ्यर्थियों को तत्काल इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 12.02.2019 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार तत्काल नियुक्तियां प्रदान करावें। उक्त भर्त्ती माननीय न्यायालय में विचाराधीन विभिन्न न्यायिक प्रकरणों में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्यधीन रहेगी।

भवदीय,

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)विभाग,
राजस्थान बीकानेर
18-2-19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमन्त्री(स्वतन्त्र प्रभार)।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3 शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4 उपायुक्त (शाला दर्पण), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5 जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय) समस्त
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा (विधि) जयपुर/जोधपुर।
7. कार्यालय प्रति।

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायती राज(प्रा.शि.)विभाग,
राजस्थान बीकानेर